समान नागरिक संहिता कैसे बनाएँ

लेखक - ताहिर महमूद (विधि के प्रोफेसर और पूर्व सदस्य, भारत के विधि आयोग)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

14 मई, 2022

समान नागरिक संहिता राष्ट्रव्यापी होनी चाहिए और इसमें सभी प्रतिगामी कानूनों का उन्मूलन शामिल होना चाहिए।

कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता बनाने की कथित पहल चर्चा का विषय बन गई है। हालाँकि, एक राज्य-स्तरीय UCC, संविधान के अनुच्छेद 44 के साथ प्रथम दृष्टया असंगत प्रतीत होता है, जो यह घोषणा करता है कि "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।" इसमें निहित प्रस्तावित संहिता का अखिल भारतीय चरित्र और विस्तार इतना विशिष्ट है कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। संविधान के तहत, परिवार और उत्तराधिकार कानून केन्द्र और राज्यों के समवर्ती क्षेत्राधिकार में हैं, लेकिन पूरे देश में समान रूप से लागू होने वाला कानून अकेले संसद द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों से संबंधित कई मामलों में इस संबंध में लगातार निष्क्रियता पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई है, लेकिन इसकी चिंता का विषय हमेशा केंद्र में रहा है।

संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने में, संसद ने 1954 में एक विशेष विवाह अधिनियम, अधिनियमित किया। किसी समुदाय-विशिष्ट कानून की जगह नहीं लेते हुए, इसे सभी नागरिकों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया था। कोई भी पुरुष और महिला, चाहे वे समान या भिन्न धर्मों को मानते हों, कानूनी विवाह का विकल्प चुन सकते हैं। मौजूदा धार्मिक विवाहों को भी अधिनियम के तहत पंजीकरण द्वारा स्वेच्छा से कानूनी विवाह में परिवर्तित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 21 में कहा गया है कि इसके प्रावधानों के तहत विवाहित सभी जोड़े और उनके वंशज, उनकी संपत्तियों के संबंध में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में विरासत पर धर्म-तटस्थ अध्याय द्वारा शासित होंगे। विशेष विवाह अधिनियम और भारतीय इस प्रकार, उत्तराधिकार अधिनियम एक साथ सभी भारतीयों के लिए एक वैकल्पिक प्रकृति के यूसीसी का गठन करने के लिए थे। उस समय के कानून मंत्री सी. सी. बिस्वास ने इसे "समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) की ओर पहला कदम" कहा था।

हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच धार्मिक विवाहों को विनियमित करने के लिए, 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम नामक एक नया कानून बनाया गया था। 1955 के अधिनियम द्वारा कवर किए गए लोगों की संपत्तियों के लिए अगले साल एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू हुआ। अधिनियम की धारा 29 (4) ने स्पष्ट किया कि "इस अधिनियम में निहित कुछ भी विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में निहित प्रावधानों को प्रभावित करने के लिए नहीं समझा जाएगा।"

विशेष विवाह अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (इससे जुड़ा हुआ) पूरे देश में लागू नहीं होता। जब 1960 के दशक की शुरुआत में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था, तो एक संसदीय कानून ने एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा "संशोधित या निरस्त" होने तक उन क्षेत्रों में पुरातन पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को जारी रखने का प्रावधान किया था। वह 155 साल पुराना विदेशी कानून, जो अब अपने मूल देश में भी लागू नहीं है, अभी भी भारत के इन हिस्सों में भारतीय नागरिकों को नियंत्रित करता है। पुदुचेरी, जो गोवा, दमन और दीव से भी पहले आजाद हो गया था, में नागरिकों का एक बड़ा वर्ग जिसे रेनोनकेंट्स (ऐसे भारतीय जिनके पूर्वजों ने फ्रांसीसी शासन के दौरान व्यक्तिगत कानून को त्याग दिया था) कहा जाता है, अभी भी 1804 ई. के 218 वर्षीय फ्रांसीसी नागरिक संहिता द्वारा शासित है।

यह मानते हुए कि इस तरह की संहिता को राज्य-स्तर पर अधिनियमित किया जा सकता है, देश में कहीं और लागू होने वाले केन्द्रीय विवाह और उत्तराधिकार कानूनों को निरस्त करके और उन्हें प्रतिस्थापित करके एक शुरुआत की जानी चाहिए। इस तर्कसंगत कदम को उठाने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि गोवा में बीजेपी का शासन है और दमन, दीव और पुडुचेरी (केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में) भी इसके अधिकार क्षेत्र में हैं। इन जगहों पर कानूनों को लागू करना इस तथ्य के मद्देनजर अधिक तार्किक होगा कि 2019 में, सरकार ने उन्हें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विस्तारित किया, ताकि उनके स्थानीय रूपों को बदला जा सके।

इसके अलावा, विशेष विवाह अधिनियम कुछ मामलों में स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है। विवाह में निषिद्ध डिग्री की इसकी सूची (रिश्तेदार कोई शादी नहीं कर सकता) हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उसी की एक प्रति है, लेकिन उस अधिनियम के विपरीत, यह सपिंडा रिलेशन (दूर के चचेरे भाई को शामिल करते हुए) की सीमा के भीतर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले नियम को मान्यता नहीं देता है। इसलिए, एक हिंदू स्वतंत्र रूप से अधिनियम के तहत दूसरे चचेरे भाई से शादी कर सकता है, हालाँकि उसका धर्म इसे प्रतिबंधित करता है, लेकिन एक मुसलमान इसके तहत पहले चचेरे भाई से शादी नहीं कर सकता है, जिसे उसका धर्म अनुमति देता है। हालात को बदतर बनाने के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, निषिद्ध डिग्री के नियम में प्रथा के आधार पर छूट दी जा सकती है, लेकिन विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं।

आपातकालीन दिनों के दौरान, विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि इसके तहत शादी करने वाले दोनों पक्ष हिंदू हैं तो उनकी संपत्तियाँ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि मूल रूप से प्रदान किए गए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होंगी। इस प्रतिगामी कदम पर कभी किसी अदालत ने सवाल नहीं उठाया। इसके विपरीत, मेनका गाँधी मामले (1985) में इस पर उठाई गई आपत्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने इसका बचाव किया।

पूरे देश को पारिवारिक अधिकारों और उत्तराधिकार के एक ही कानून के तहत रखने में कुछ भी गलत नहीं है। यह कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के लिए संवैधानिक गारंटी के अनुपालन में किया जाना चाहिए। विवाह में निषिद्ध डिग्रियों से संबंधित विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान को उपर्युक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता को प्रतिबंधित करने वाले इसके 1976 के संशोधन को अलग रखा जाना चाहिए। इस प्रकार संशोधित अधिनियम को देश के हर हिस्से में लागू किया जाना चाहिए। जिस दिन यह किया जाएगा, "भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता" का संवैधानिक वादा विधिवत पूरा हो जाएगा।

जीएस वर्ल्ड टीम इनपुट

IN THE NEWS

समान नागरिक संहिता कानून

क्या है?

- समान नागरिक संहिता कानून को अगर आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब होगा कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून।
- फिर वो व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता कानून में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बँटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा।
- संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य को अपने नागरिकों के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता (UCC) को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिये। हालाँकि इस संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

क्या है अनुच्छेद 44?

- संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 35 को अंगीकृत संविधान के अनुच्छेद 44 के रूप में शामिल कर दिया गया और उम्मीद की गई कि जब राष्ट्र एकमत हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगी।
- अनुच्छेद 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए 'समान नागरिक संहिता' बनाने का निर्देश देता है।
- कुल मिलाकर अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देशभर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना है।

क्यों पड़ी जरूरत?

- अलग-अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे।
- शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बँटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं।
- समान नागरिक संहिता की अवधारणा है कि इससे सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति में भी सुधार की उम्मीद है।

क्या फायदे होंगे?

- **कानूनों का सरलीकरण :** समान संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणामस्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।

- **लैंगिक न्याय :** यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है, तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएँगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।
- **समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण:** समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा।
- **धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल:** भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए।

विरोध करने वालों का तर्क

- समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिन्दू कानून को लागू करने जैसा है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है।
- धर्मनिरपेक्ष देश में पर्सनल लॉ में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता बने तो धार्मिक स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए।

इन देशों में लागू

- अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की , इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, जैसे कई देश हैं, जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है। इनमें से कुछ देशों की समान नागरिक संहिता से तमाम मानवाधिकार संगठन सहमत नहीं हैं।

world
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है, जिसमें राज्य (राष्ट्र) के लिए कुछ विशेष कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं।
2. अनुच्छेद 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए 'समान नागरिक संहिता' बनाने का निर्देश देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) न तो 1, न तो 2

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements:-

1. Article 44 is part of the Directive Principles of Policy of the Constitution, in which certain duties have been prescribed for the state (nation).
2. Article 44 directs the state to make a 'uniform civil code' for all religions at an appropriate time.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) 1 and 2 both
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. विशेष विवाह अधिनियम एवं समान नागरिक संहिता का क्या महत्त्व है? साथ ही भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए इसकी प्रासंगिकता और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण करें। (250 शब्द)

Q. What is the significance of Special Marriage Act and Uniform Civil Code? Also examine its relevance to a secular country like India and the challenges faced in its implementation. (250 Words)

World
Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।